कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक– अ0आ0उ0यो0/2019–20/557 दिनांक 02 सितम्बर, 2019

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर को निर्गत "कारण बताओ नोटिस" के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश

राज्य स्वास्थ्य अभिकरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा संचालित की जा रही अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध **जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर** द्वारा लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने के संबंध में SHA द्वारा नियुक्त क्रियान्वयन सहायता एजेंसी से प्राप्त अभिलेखों एवं प्रमाणों का परीक्षण करने के उपरांत हॉस्पिटल द्वारा अनियमितताओं, अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी एवं षड्यंत्र/दुरभि संधि किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। अतः इस संबंध में जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल को पत्रांक अ0आ0उ0यो0/2019–20/193 दिनांक 25 मई 2019 को "कारण बताओ नोटिस" दिया गया।

कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए हॉस्पिटल को 15 दिन का समय दिया गया था, किंतु निर्धारित समय में हॉस्पिटल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 10 जून, 2019 को उत्तर देने हेतु एक सप्ताह का समय बढ़ाने हेतु अनुरोध किया। 15 जून 2019 को हॉस्पिटल द्वारा "क्लेम डम्प" दिए जाने का अनुरोध करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय उत्तर दिए जाने हेतु किया गया। "क्लेम डम्प" प्राप्त करने हेतु हॉस्पिटल को पत्र द्वारा आमंत्रित किया गया, किंतु हॉस्पिटल से कोई भी "क्लेम डम्प" प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी दशा में दिनांक 22.07.2019 को ई–मेल द्वारा अटैचमेंट के माध्यम से SHA द्वारा स्वयं ही "क्लेम डम्प" उपलब्ध कराकर कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने हेतु 15 दिन का समय और प्रदान किया गया। उक्त निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आतिथि तक हॉस्पिटल द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। चूँकि पर्याप्त समय दिए जाने के पश्चात भी हॉस्पिटल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, अतः यह निर्णय लिया गया कि जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल को दिए गए कारण बताओ नोटिस का एक पक्षीय निस्तारण किया जाए।

02.9.19

कारण बताओ नोटिस एवं संबंधित अभिलेखों का अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल पर लगाए गए आरोपों के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है–

1. आरोप संख्या–1

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय के अभिलेखों की जाँच उपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत आतिथि दिनांक 16.05.2019 तक कुल 67 मरीजों द्वारा उपचार प्राप्त किया गया है परन्तु नीचे दी गई तालिका के अनुसार 26 मरीजों की सर्जरी/उपचार प्री–आथ से पूर्व ही कर दी गई है, जसपुर मैट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 4 पैरा 2(ii) निम्न प्रावधान है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure,
Para 2. Pre-authorisation, (ii). No EHCP shall, under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre-authorisation unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधानित है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure
Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

जसपुर मैट्रो हॉस्पिटल द्वारा अनुबन्ध की उक्त शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। Planned Cases में Preauthrization से पूर्व ही सर्जरी की गयी है तथा Emergency Cases में बिना TPIN लिये pre-authorisation से पूर्व सर्जरी की गयी है। इस प्रकार जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल का यह कृत्य मरीजों के उपचार में धोखाधड़ी का संदेह भी उत्पन्न करता है।

आरोप संख्या 1 का विश्लेषण निष्कर्ष

आरोप संख्या 01 में दिए गए 26 केसेस में क्रियान्वयन सहायता एजेंसी से प्राप्त अभिलेखों का गहन परीक्षण करने के उपरांत निम्न तालिका से अनियमितताओं तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न होती है–

Table:1. Surgery/ Treatment done before preauth initiation, Jaspur Metro Hospital, Jaspur

S No	Case No	Procedure Name	Admission Date	Preauth initiation Date	Preauth initiated Amount	Preauth Approved Date	Preauth Approved Amount	Surgery /Treatment Date	Discharge Date	Claimed Amount(Rs.)	Admission Type	Paid/Unpaid
1	E15926	Breast Lump - Left – Excision	09-03-19	12-03-19	5000	12/03/19 01:54:30 PM	5000	10-03-19	11-03-19	5000	P	Unpaid
2	D18468	High risk delivery: Expected Gestation at delivery less than 35 weeks	15-03-19	18-03-19	9000	18/03/19 11:14:24 PM	9000	15-03-19	19-03-19	9000	E	Unpaid
3	E18697	Cholecystostomy	15-03-	18-03-	10000	18/03/19	10000	16-03-	19-03-	10000	P	Unpaid

S No	Case No	Procedure Name	Admission Date	Preauth initiation Date	Preauth initiated Amount	Preauth Approved Date	Preauth Approved Amount	Surgery /Treatment Date	Discharge Date	Claimed Amount(Rs.)	Admission Type	Paid/Unpaid
			19	19		11:34:19 PM		19	19			
4	D18710	Cholecystostomy	15-03-19	18-03-19	10000	18/03/19 11:47:22 PM	10000	15-03-19	19-03-19	10000	P	Unpaid
5	D18312	Hysterectomy ± Salpingo-oophorectomy	18-03-19	20-03-19	20000	20/03/19 12:08:38 PM	20000	18-03-19	21-03-19	20000	E	Paid
6	D21221	Cholecystostomy	17-03-19	21-03-19	10000	21/03/19 10:35:11 PM	10000	18-03-19	21-03-19	10000	E	Unpaid
7	D21227	Cholecystostomy	16-03-19	21-03-19	10000	22/03/19 12:22:38 PM	10000	17-03-19	21-03-19	10000	P	Unpaid
8	E22290	Cholecystostomy	18-03-19	22-03-19	10000	22/03/19 10:49:23 PM	10000	19-03-19	22-03-19	10000	P	Paid
9	S18437	Cholecystostomy	17-03-19	23-03-19	10000	23/03/19 05:23:13 PM	10000	18-03-19	21-03-19	10000	E	Unpaid
10	S22534	Adhenolysis + Appendicectomy	18-03-19	23-03-19	20000	24/03/19 03:24:11 AM	20000	19-03-19	22-03-19	20000	P	Unpaid
11	D23693	Hernia – Umbilical	23-03-19	26-03-19	11000	26/03/19 11:43:51 PM	11000	23-03-19	26-03-19	11000	P	Unpaid
12	D23702	Cholecystostomy	23-03-19	27-03-19	10000	27/03/19 02:06:46 PM	10000	23-03-19	26-03-19	10000	E	Paid
13	E28110	Cholecystostomy	26-03-19	27-03-19	10000	27/03/19 03:41:10 PM	10000	26-03-19	29-03-19	10000	P	Unpaid
14	D27268	Adhenolysis+ Ovarian Cystectomy	26-03-19	30-03-19	10000	31/03/19 02:09:37 PM	10000	26-03-19	29-03-19	10000	P	Unpaid
15	D39576	Caesarian Delivery	03-04-19	04-04-19	9000	05/04/19 04:04:08 PM	9000	03-04-19	05-04-19	9000	P	Paid
16	S44016	Cholecystostomy	05-04-19	08-04-19	10000	08/04/19 05:02:43 PM	10000	05-04-19	09-04-19	10000	P	Unpaid
17	D56355	Hysterectomy ± Salpingo-oophorectomy	12-04-19	19-04-19	20000	19/04/19 11:49:54 PM	20000	13-04-19	16-04-19	20000	P	Unpaid
18	D58713	Caesarian Delivery	17-04-19	20-04-19	9000	20/04/19 05:49:51 PM	9000	18-04-19	21-04-19	9000	P	Unpaid
19	D63235	Caesarian Delivery	19-04-19	23-04-19	9000	23/04/19 07:30:31 PM	9000	19-04-19	23-04-19	9000	P	Unpaid
20	E68171	Hysterectomy ± Salpingo-oophorectomy(S400001)	24-04-19	26-04-19	20000	26/04/19 11:28:38 PM	20000	24-04-19	27-04-19	20000	P	Unpaid
21	E70269	Caesarian Delivery(S400034)	25-04-19	28-04-19	9000	28/04/19 04:16:39 PM	9000	25-04-19	28-04-19	9000	P	Unpaid
22	D70363	Hysterectomy ± Salpingo-oophorectomy(S400001)	25-04-19	29-04-19	20000	29/04/19 03:38:46 PM	20000	26-04-19	30-04-19	20000	P	Unpaid
23	D72587	Hysterectomy ± Salpingo-oophorectomy(S400001)	29-04-19	30-04-19	20000	30/04/19 03:46:24 PM	20000	29-04-19	02-05-19	20000	P	Unpaid
24	D68260	Vaginal hysterectomy with anterior and posterior colpoperineorrhaphy(S400010)	23-04-19	30-04-19	16000	30/04/19 09:38:02 PM	16000	24-04-19	26-04-19	16000	E	Unpaid
25	D73006	Caesarian Delivery(S400034)	30-04-19	01-05-19	9000	01/05/19 05:46:04 PM	9000	30-04-19	03-05-19	NA	P	Unpaid
26	D76605	Cholecystostomy(S100154)	30-04-19	02-05-19	10000	03/05/19 01:43:49 AM	10000	30-04-19	02-05-19	NA	P	Unpaid

02.09.19

तालिका में दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि उक्त सभी 26 केसेस में सर्जरी/ट्रीटमेंट किए जाने की तिथि के पश्चात हॉस्पिटल द्वारा प्रिऑथराइजेशन इनीशिएट किया गया है।

जसपुर मैट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 4 पैरा 2(ii) निम्न प्रावधान है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure,

Para 2. Pre-authorisation, (ii). No EHCP shall, under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre-authorisation unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधानित है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

जसपुर मैट्रो हॉस्पिटल द्वारा अनुबन्ध की उक्त शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। Planned Cases में Preauthrization से पूर्व ही सर्जरी की गयी है तथा Emergency Cases में बिना TPIN लिये pre-authorisation से पूर्व सर्जरी की गयी है।

उक्त तालिका में दिए विवरण के अनुसार यह स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन न करके उक्त 26 केस में अवैधानिक क्लेम प्राप्त किए गए हैं, जो अनुमन्य नहीं हो सकते हैं।

उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 7 केसेस में (क्रम संख्या 1, 9, 10, 12, 14, 17 तथा 24) न केवल बिना प्रिऑथराइजेशन के इलाज किया गया है, वरन् मरीजों का इलाज करके उनका उनको डिस्चार्ज करने के पश्चात प्रिऑथराइजेशन को इनीशिएट किया गया है। हॉस्पिटल का यह कृत्य उसकी संपूर्ण उपचार व्यवस्था पर प्रश्न लगा देता है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना SHA तथा हॉस्पिटल के मध्य हुये अनुबन्ध के अन्तर्गत संचालित की जा रही है। हॉस्पिटल योजना के अन्तर्गत मनमाने ढंग से अनुबन्ध के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये claim नहीं कर सकता है। अनुबन्ध का अनुपालन आवश्यक है, अन्यथा यह वित्तीय नियमों का उल्लंघन एवं Public Money का दुरूपयोग होगा। अनुबन्ध का उल्लंघन करके किये जाने वाले क्लेम स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं।

उक्त विवेचना के आधार पर इस आरोप में वर्णित 26 केसेस का क्लेम अनुमन्य नहीं है और इन 26 केसेस को निरस्त किया जाता है। इन 26 केसेस में से 4 क्लेम्स को भुगतान कुल ₹49000 हॉस्पिटल को किया जा चुका है, यह धनराशि हॉस्पिटल से वापस प्राप्त की जाए। शेष 22 क्लेम्स में निहित ₹267000 की धनराशि जो भुगतान हेतु लंबित है, का भुगतान हॉस्पिटल को नहीं किया जाएगा।

02-09-19

2. आरोप संख्या–2

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय में उपचारित कुल 18 मरीजों से दूरभाष पर (Recorded) वार्ता करने उपरान्त कारण बताओ नोटिस में वर्णित 15 मरीजों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा रोग का निःशुल्क (cashless) ईलाज न करते हुए उनसे धनराशि ली गई है।

इससे स्पष्ट होता है कि चिकित्सालय द्वारा तालिका में वर्णित समस्त रोगियों से जाँचों, दवाईयों एवं सर्जरी हेतु अवैध रूप से शुल्क लिया गया है। साथ ही उपरोक्त रोगियों के क्लेम्स भी टी0एम0एस0 में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत रोगी को कैशलेश सेवाएं दी जाती है। जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 8, पैरा 2 एवं एनेक्सर 5, पैरा 1ए के अनुसार

"Section 8: General responsibilities & obligations of the EHCP,
Para 2: The EHCP shall provide **cashless facility** to the beneficiary in strict adherence to the provisions of the agreement."

"Annex 5: Process of Delivery of Benefits, Claim reporting and Submission
Para 1a. Cashless Access of Services (a) The ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND beneficiaries shall be provided treatment free of cost for all such ailments covered under the Scheme within the limits/ sub-limits and benefit limit, i.e., not specifically excluded under the Scheme."

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा लाभार्थियों से अवैध रूप से धनराशि वसूल करने के साथ–साथ क्लेम पैकेज के अनुसार क्लेम की धनराशि भी प्राप्त करने हेतु टी0एम0एस0 में क्लेम हेतु प्रेषित कर दी गई है जो कि अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी एवं अवैध धनराशि की वसूली इंगित करता है।

आरोप संख्या 2 का विश्लेषण/निष्कर्ष

इस आरोप के संबंध में अभिलेखों का परीक्षण किया गया। क्रियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल के लाभार्थियों से दिनांक 4 मई 2019 को टेलीफोन से वार्ता की गई। टेलीफोन से यह की गई वार्ता "रिकॉर्ड" भी की गई। हॉस्पिटल द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित 15 लाभार्थियों से उनके हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान नगद धनराशि अवैध रूप से प्राप्त की गई–

Table: 2. <u>लाभार्थी से टेलीफोन द्वारा हासिल जानकारी – अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना</u>

अस्पताल का नाम : JASPUR METRO HOSPITAL, JASPUR   जिला : UDHAM SINGH NAGAR

क्र0	दिनांक	लाभार्थी का नाम एवं मोबाइल न0	लाभार्थी का अटल आयुष्मान कार्ड न0	क्या भर्ती के दौरान आपसे अस्पताल द्वारा आपसे नकद धनराशि ली गयी ? अगर हाँ, तो कितनी ?
1	4 May 2019	Nazma, 9837713571	P9IWNFSGD	Yes, Rs. 5000/-
2	4 May 2019	Urmila, 805784986	PBGA4LJ4S	Yes, 9000/-
3	4 May 2019	Rajeshbari, 7500399671	PMSZR16AR	Yes, 6500/-

02.08.19

4	4 May 2019	Mahjabhi Praveen, 9012367455	PM42Q7JZ4	Yes, 1900/-
5	4 May 2019	Zahida, 9837255250	PKIM8628F	Yes, 20000/-
6	4 May 2019	Aneesa Parveen, 7500559406	P5SQHQ4FV	Yes, 9000/-
7	4 May 2019	Ameer Husain, 7456934071	PM7MRPRIV	Yes, 20000/-
8	4 May 2019	Lakhan Singh, 9536541232	P38ITMBCP	Yes,1000/-
9	4 May 2019	Madhurma, 9568510450	PX8TSRIY8	Yes, 9000/-
10	4 May 2019	Gulshan Jahan, 7417777980	PGABG4E5U	Yes, 9000/-
11	4 May 2019	Amar Singh Chauhan, 9627490507	P658IPBLW	Yes, 7500/-
12	4 May 2019	Vima, 8941876051l	PQ9Z0KU0N	Yes, 10000/-
13	4 May 2019	Seema, 9837929046	P5JYVBPAQ	Yes, 17000/-
14	4 May 2019	Parveen Jahan, 9756614866	PN3P7SVY3	Yes, 600/-
15	4 May 2019	Khursheeda, 9568910548	PD9Q51NJV	Yes, 16000/-
			TOTAL	**Rs. 141500/-**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 15 लाभार्थियों से कुल ₹140600 अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से प्राप्त की गई है।

Table : 3. Jaspur Metro Hospital Jaspur – Details of Claims with case no. where illegal cash taken by Hospital

S N o	Case No	NHPM Id	Patient Name	Admission Date	Claim Amount (Rs)	Discharge Date	Paid/Unpaid
1	CASE/HOSP5P86358/E15926	P9IWNFSGD	Nazma	09/03/2019 12:00:00 AM	5000	11/03/2019 12:00:00 AM	Unpaid
2	CASE/HOSP5P86358/E18697	PBAJ4IJ4S	Urmila	15/03/2019 12:00:00 AM	10000	19/03/2019 12:00:00 AM	Unpaid
3	CASE/HOSP5P86358/D19824	PMSZR16AR	Rajeshbari	19/03/2019 12:00:00 AM	20000	21/03/2019 12:00:00 AM	Unpaid
4	CASE/HOSP5P86358/D18712	PM42Q7JZ4	Mahjabhi Parveen	16/03/2019 12:00:00 AM	3600	21/03/2019 12:00:00 AM	Unpaid
5	CASE/HOSP5P86358/D21221	PKIM8628F	Zahida Khatoon	17/03/2019 12:00:00 AM	10000	21/03/2019 12:00:00 AM	Unpaid
6	CASE/HOSP5P86358/S18437	P5SQHQ4FV	Aneesa Parveen	17/03/2019 12:00:00 AM	10000	21/03/2019 12:00:00 AM	Unpaid
7	CASE/HOSP5P86358/D18025	PM7MRPRIB	Ameer Hausin	16/03/2019 12:00:00 AM	3600	25/03/2019 12:00:00 AM	Unpaid
8	CASE/HOSP5P86358/D19334	P381TMBCP	Lakhan Singh	18/03/2019 12:00:00 AM	18000	24/03/2019 12:00:00 AM	Unpaid
9	CASE/HOSP5P86358/D45658	PX8TSRIY8	Madhurma	03/04/2019 12:00:00 AM	9000	06/04/2019 12:00:00 AM	Unpaid
10	CASE/HOSP5P86358/E45720	PGABG4E5U	Gulshan Jahan	03/04/2019 12:00:00 AM	9000	07/04/2019 12:00:00 AM	Unpaid
11	CASE/HOSP5P86358/D48170	P658IP8LW	Amar Singh Chauhan	04/04/2019 12:00:00 AM	9000	08/04/2019 12:00:00 AM	Unpaid
12	CASE/HOSP5P86358/D48200	PQ9Z0KU0N	Vimla	04/04/2019 12:00:00 AM	18000	07/04/2019 12:00:00 AM	Unpaid
13	CASE/HOSP5P86358/D49959	P5JYVBPAQ	Seema	06/04/2019 12:00:00 AM	7200	08/04/2019 12:00:00 AM	Unpaid
14	CASE/HOSP5P86358/S51152	PN3P7SVY3	Parveen Jahan	08/04/2019 12:00:00 AM	9000	12/04/2019 12:00:00 AM	Unpaid
				Total	**141400**		
15	CASE/HOSP5P86358/D18312	PD9Q51NJV	Khursheeda	18/03/2019 12:00:00 AM	20000	21/03/2019 12:00:00 AM	Paid
				Total	**20000**		
				Grand Total	**161400**		

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 8, पैरा 2 एवं एनेक्सर 5, पैरा 1ए के अनुसार

"Section 8: General responsibilities & obligations of the EHCP,

Para 2: The EHCP shall provide **cashless facility** to the beneficiary in strict adherence to the provisions of the agreement."

"Annex 5: Process of Delivery of Benefits, Claim reporting and Submission

Para 1a. Cashless Access of Services (a) The ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND beneficiaries shall be provided treatment free of cost for all such ailments covered

02.09.19

under the Scheme within the limits/ sub-limits and benefit limit, i.e., not specifically excluded under the Scheme."

अनुबन्ध के Section 4 के Clause (V) के अनुसार कैशलेस उपचार में निम्न मदें सम्मिलित हैं:–

a. Registration Charges
b. Bed charges (General Ward in case of surgical),
c. Nursing and Boarding charges,
d. Surgeons, Anesthetists, Medical Practitioner, Consultants fees etc.
e. Anesthesia, Blood Transfusion, Oxygen, O.T. Charges, Cost of Surgical Appliances etc,
f. Medicines and Drugs,
g. Cost of Prosthetic Devices, implants,
h. Pathology and radiology tests: radiology to include but not be limited to X-ray, MRI, CT Scan, etc. (as applicable)
i. Food to patient.
j. Pre and Post Hospitalisation expenses: Expenses incurred for consultation, diagnostic tests and medicines before the admission of the patient in the same hospital and cost of diagnostic tests and medicines and up to 15 days of the discharge from the hospital for the same ailment/ surgery. [Pre Hospitalization will be as per package (3 Days) In case of Biopsies it would be relaxed to a maximum of 10 days.]
k. Any other expenses related to the treatment of the patient in the EHCP.

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा लाभार्थियों से अवैध रूप से धनराशि वसूल करने के साथ–साथ क्लेम पैकेज के अनुसार क्लेम की धनराशि भी प्राप्त करने हेतु टी0एम0एस0 में क्लेम हेतु प्रेषित कर दी गई है जो कि अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी एवं अवैध धनराशि की वसूली इंगित करता है।

उक्त विवेचना के आधार पर हॉस्पिटल के 15 क्लेम्स निरस्त किए जाते हैं (इन 15 केसेस में से Table no. 3 में वर्णित 5 केस सं0 CASE/HOSP5P86358/E15926, CASE/HOSP5P86358/E18697, CASE/HOSP5P86358/D21221, CASE/HOSP5P86358/S18437, CASE/HOSP5P86358/D18312 आरोप सं0 1 में निरस्त किये जा चुके हैं)। इन 15 केसेस में से एक केस में क्लेम की राशि ₹20000 जो हॉस्पिटल द्वारा प्राप्त कर ली गई है, को हॉस्पिटल से वापस प्राप्त किया जाये (यह केस CASE/HOSP5P86358/D18312 आरोप सं0 1 में निरस्त किया जा चुका है)। उक्त 15 केसेस में से 14 केसेस में क्लेम की धनराशि ₹141400 जो हॉस्पिटल को भुगतान नहीं की गई है, उसका भुगतान हॉस्पिटल को नहीं किया जाएगा (इन 14 केसेस में से Table no. 3 में वर्णित 4 केस सं0 CASE/HOSP5P86358/E15926, CASE/HOSP5P86358/E18697, CASE/HOSP5P86358/D21221, CASE/HOSP5P86358/S18437 Total amount of 4 cases Rs. 35000/- आरोप सं0 1 में निरस्त किये जा चुके हैं)। हॉस्पिटल द्वारा अवैध नगद धनराशि ₹140600 जो 15 लाभार्थियों से प्राप्त की गई है, अनुबंध की शर्तों के

02.09.19

अनुसार उसके तीन गुना धनराशि ₹421800 का अर्थदण्ड भी हॉस्पिटल के ऊपर आरोपित किया जाता है।

3. आरोप संख्या–3

अभिलेखों के अनुसार जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर में सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से आतिथि दिनांक 16 अप्रैल 2019 तक कुल 67 मरीजों का ईलाज किया गया है जिसमें से कुल 41 केसेस रेफरल के आधार पर नियोजित केसेस (Planned cases) के रूप में भर्ती किये गये हैं। उपरोक्त 41 मरीजों मे से 18 मरीजो को सी0एच0सी जसपुर से रेफरल स्लिप पर जसपुर मेट्रो का नाम अंकित करते हुए रेफर किया गया है तथा कई रेफरल स्लिप पर जसपुर मेट्रो के चिकित्सकों के नाम भी अंकित किये गये हैं जैसेः– डॉ0 लीला जोशी, डॉ0बी0के0 डालमिया तथा डॉ0 मिर्जा। इस प्रकार से by Hospital/ Doctor Name रेफरल किया जाना स्थापित व्यवस्था (established practice) के विरुद्ध है। उपरोक्त कृत्य जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा रेफरिंग हॉस्पिटल के साथ धोखाधड़ी एवं दुरभि संधि का संदेह उत्पन्न करता है।

4. आरोप संख्या–4

यह भी संज्ञान में आया है कि निम्न 02 मरीजों के जसपुर मेट्रो चिकित्सालय में भर्ती होने के पश्चात् रेफरल स्लिप सी0एच0सी0 जसपुर चिकित्सालय से प्राप्त हुई हैः–

- रोगी का नाम गुलशन जहां उम्र 29 वर्ष महिला अटल आयुष्मान कार्ड संख्या **PQO1NSJ5H diagnosis full term pragnency with Pr LSCS With oligo-Hydraamnios with loss fo foetal movement** । उपरोक्त मरीज 19.04.2019 को जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी तथा उसी दिन उसका प्रसव ऑपरेशन द्वारा हुआ था, परन्तु मरीज़ का रेफरल दिनांक 22.04.2019 को सी0एच0सी0 जसपुर से प्राप्त किया गया है।
- रोगी का नाम परवीन जहां उम्र 25 वर्ष महिला अटल आयुष्मान कार्ड संख्या **PLNXO3H73**। मरीज़ को जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में दिनांक 08.04.2019 को भर्ती किया गया है, परन्तु उपरोक्त मरीज़ का रेफरल दिनांक 09.04.2019 को सी0एच0सी0 जसपुर से प्राप्त किया गया है।

मरीजों का इलाज हो जाने के पश्चात अथवा भर्ती होने के पश्चात रेफरल की व्यवस्था नहीं है। जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा रेफरल प्राप्त होने के पश्चात ही मरीजों को भर्ती या उनका इलाज किया जा सकता है। जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 2 पैरा **4(iv) f** में निम्न प्रावधान है:

> **"Section 2: Scope of services Para 4(iv) f :** Packages as mentioned in **Annex 2** can only be availed in Private EHCPs **only after a referral from a Public EHCP is made."**

02.09.19

अतः जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा अनुबन्ध का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त कृत्य जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा रेफरिंग हॉस्पिटल के मध्य दुरभि संधि एवं धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

आरोप संख्या–3 एवं आरोप संख्या–4 का विश्लेषण/निष्कर्ष

अभिलेखों का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि–

1. 15 मरीजों को रेफरल्स सी0एच0सी0, जसपुर द्वारा जसपुर मेट्रो चिकित्सालय का नाम अंकित करते हुए निर्गत किया गया है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग द्वारा रेफरल के संबंध में स्थापित व्यवस्था (Established Practice) के विरुद्ध है।
2. इन 15 रेफरल्स में से 3 रेफरल्स तो ऐसे हैं जिन्हें सी0एच0सी0, जसपुर द्वारा न केवल जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल का नाम अंकित करते हुए वरन् जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स का भी नाम अंकित करते हुए रेफर किया गया है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है।

इन 15 रेफरल्स का विवरण निम्न प्रकार है–

Table : 4. Reference issued in the name of Jaspur Metro Hospital from CHC Jaspur Jaspur

Sr.No.	Case No	Patent Name	Referred to
1	CASE/HOSP5P86358/D18710	Gurdeep Kaur	
2	CASE/HOSP5P86358/E68171	Charan Kaur	
3	CASE/HOSP5P86358/E18697	Urmila	
4	CASE/HOSP5P86358/E28110	Premwati	
5	CASE/HOSP5P86358/D58713	Afsana	
6	CASE/HOSP5P86358/S22535	Furkan Ali	
7	CASE/HOSP5P86358/D23693	Imrana	**Dr.B.K.Damania**
8	CASE/HOSP5P86358/D39576	Hina Parven	**Dr.Leela Joshi**
9	CASE/HOSP5P86358/S44016	Sushila Devi	
10	CASE/HOSP5P86358/E15926	Nazma	
11	CASE/HOSP5P86358/D18025	Ameer Hushain	**Dr.A.W.Mirza**
12	CASE/HOSP5P86358/D63236	Gulshan Jahan	
13	CASE/HOSP5P86358/S51152	Parveen Jahan	
14	CASE/HOSP5P86358/D51348	Parveen Jahan	
15	CASE/HOSP5P86358/S39629	Renau Kaur	

अभिलेखों के परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि आरोप संख्या–4 में उल्लेख किए गए दो मरीजों के के रेफरल्स सी0एच0सी0, जसपुर द्वारा मरीजों के जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती होने के पश्चात किए गए हैं। मरीजों का इलाज हो जाने के पश्चात अथवा भर्ती होने के पश्चात रेफर किए जाने की व्यवस्था नहीं है।

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 2 पैरा **4(iv) f** में निम्न प्रावधान है:

"Section 2: Scope of services Para 4(iv) f : Packages as mentioned in **Annex 2**

02.09.19

can only be availed in Private EHCPs **only after a referral from a Public EHCP is made."**

उक्त विवरण के आधार पर आरोप संख्या–3 तथा आरोप संख्या–4 सिद्ध होते हैं।

5. आरोप संख्या–5

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा मरीज़ श्रीमती मीनाक्षी आयु 38 वर्ष आयुष्मान कार्ड संख्या POY69M83G Diagnosis Chronic colecystitis with cholelithasis रोग से ग्रसित थी। चिकित्सालय द्वारा डिस्चार्ज स्लिप पर मरीज के भर्ती का दिनांक 07.03.2019 अंकित किया गया है, परन्तु ऑपरेशन नोट्स में मरीज के भर्ती का दिनांक 01 मार्च 2019 अंकित किया गया है तथा एक अन्य अभिलेख में ऑपरेशन की तिथि 03.03.2019 अंकित की गई है। उक्त कृत्य अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत अवैधानिक लाभ लेने हेतु दस्तावेजों के कपटपूर्वक कूटरचित कर एवं मिथ्या/फर्जी होने और धोखाधड़ी किये जाने का संदेह उत्पन्न करता है।

आरोप संख्या 5 का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि हॉस्पिटल द्वारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टी0एम0एस0) में स्वयं भरी गई सूचनाओं के अनुसार मरीजों को 03.03.2019 को भर्ती किया गया तथा दिनांक 12.03.2019 को डिस्चार्ज किया गया। OT नोट्स के अनुसार मरीज की सर्जरी 01.03.2019 को की गई है, अर्थात मरीज को भर्ती करने से पूर्व ही सर्जरी हो गई है, जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी क्लेम लिए जाने की मंशा दर्शाता है। यही नहीं हॉस्पिटल द्वारा डिस्चार्ज समरी में मरीज की भर्ती 07–03–2019 तथा मरीज का डिस्चार्ज 11–3–2019 दिखाया गया है। यह भी अत्यंत आश्चर्यजनक है कि OT नोट्स में सर्जरी की तिथि 01–03–2019 दिखाई गई है जबकि हॉस्पिटल द्वारा टी0एम0एस0 में सर्जरी की तिथि 07–03–2019 अंकित की गई है। हॉस्पिटल का कृत्य स्पष्टतः धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैधानिक क्लेम लिया गया है। इस आरोप में वर्णित क्लेम निरस्त किया जाता है। चूँकि इस क्लेम की धनराशि ₹10000 हॉस्पिटल द्वारा प्राप्त कर ली गई है, अतः उसे हॉस्पिटल से वापस प्राप्त किया जाए।

6. आरोप संख्या–6

अभिलेखों के अनुसार जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा कुल 67 मरीजों में से 26 मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती होना दिखाया गया है। इन 26 मरीजों में से 17 मरीज Medical Management के इलाज हेतु तथा 09 मरीज Surgery के इलाज हेतु इमरजेंसी में भर्ती किये गये हैं। अभिलेखों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि ये केसेस इमरजेंसी के नहीं हैं, वरन्

02.09.19

रेफरल को avoid करने के लिए इन्हें इमरजेंसी में दिखाया गया है। जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधान है:

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure
Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा इन केसेस में TPIN नहीं लिया गया है अतः चिकित्सालय का यह कृत्य अनुबंध का उल्लंघन है एवं साथ ही धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

आरोप संख्या–6 का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि हॉस्पिटल द्वारा अनुबंध के प्रावधान **Section 4: EHCP Services- Admission Procedure, Para 4. Emergency admission** का उल्लंघन किया गया है। अतः यह आरोप सिद्ध होता है।

7. आरोप संख्या–7

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत समस्त 67 केसेस में पैथोलॉजी रिपोर्ट पर किसी भी डाक्टर के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं तथा समस्त पैथोलॉजी जाँचें चिकित्सालय द्वारा इन–हाउस करवाई गई है। जिससे पैथोलॉजी जाँचों का फर्जी होना प्रतीत होता है।

आरोप संख्या–7 का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि हॉस्पिटल के समस्त 67 केसेस में किसी भी पैथोलॉजी जाँचों की रिपोर्ट में डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं है, जो गंभीर अनियमितता है। ऐसी पैथोलॉजी रिपोर्ट के फर्जी होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः यह आरोप पूर्णतयः सिद्ध होता है।

–आदेश–

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर को आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/193 दिनांक 25 मई 2019 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के कम में लगाये गये 07 आरोपों के कम में परीक्षण व निष्कर्ष के उपरान्त आरोप संख्या 01 से 07 पूर्णरूप से सिद्ध होते है। तद्नुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण

02.09.19

(NHA) की गाइडलाइन्स तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) के साथ अनुबन्ध की शर्तों के पालन न होने को दृष्टिगत रखते हुये निम्न आदेश पारित किये जाते हैं–

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं के लिए सूचीबद्ध रखा जाना जनहित में वांछनीय नहीं है। **अतः जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर की सूचीबद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये उसका De-empanelment किया जाता है तथा हॉस्पिटल के कुल लंबित केसेस में से निरस्त किये गये केसेस की धनराशि एवं अर्थदण्ड का समायोजन करने के पश्चात् शेष धनराशि रू0 417300/–** जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, जसपुर, उधम सिंह नगर **इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को "CEO ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND YOJANA" के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा HDFC Bank, Account no. 50100102180582, IFSC code: HDFC 0000225 में RTGS/ NEFT के माध्यम से वापिस करना सुनिश्चित करें।** RTGS/ NEFT के माध्यम से उक्त धनराशि वापिस करने की दशा में Unique Transaction ID इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त वर्णित धनराशि वापिस न करने पर **नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।**

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर द्वारा धोखाधडी, फर्जी दस्तावेज, षड़यंत्र/दुरभि संधि आदि के सम्बन्ध में जो आपराधिक कृत्य किये गये हैं उनके लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराकर पृथक से कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश को मो0 यूनुस चौधरी, संचालक, जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

02.09.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि वे जन–साधारण को जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर की सूचीबद्धता समाप्त होने से अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड। विशेष रूप से आरोप संख्या 3 व आरोप संख्या 4 के सम्बन्ध में।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) को इस आशय से प्रेषित कि अपने प्रकोष्ठ से सम्बन्धित आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर। विशेष रूप से आरोप संख्या 3 व आरोप संख्या 4 के सम्बन्ध में।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. मो0 यूनुस चौधरी, संचालक, जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर।
7. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

02.09.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना